प्रेस नोट

दिनांक 29.07.2019 थाना कागारौल जनपद आगरा।

15 हजार का इनामी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार..

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में थाना क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम हेतु व अपराधियों के धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रीमण पश्चिम व क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे इनामिया/वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना प्रभारी कागारौल को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

गठित टीम द्वारा दिनांक 28.07.2019 को थाना क्षेत्र में चैकिंग संदिग्ध/वाहन के दौरान मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर रू0 15,000/– के इनामी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक पुत्र जमादार सिंह नि0 गहर्रा कला थाना कागारौल जनपद आगरा को खारी नदी पुल पर आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–**

01. दीपू उर्फ दीपक पुत्र जमादार सिंह नि0 गहर्रा कला थाना कागारौल जनपद आगरा।

- **बरामदगी का विवरण :–**

01. 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त का गैंग लीडर सत्ते उर्फ सतेन्द्र पुत्र पूरन सिंह निवासी एदल गढ़ी थाना नौहझील जनपद मथुरा व उसके साथी जीते उर्फ जितेन्द्र पुत्र पूरन सिंह निवासी उपरोक्त तथा इनका साथी दीपू उर्फ दीपक पुत्र जमादार सिंह निवासी गहर्रा कला थाना कागारौल जनपद आगरा अपने साथियों के साथ एक संगठित अन्तर जनपदीय गिरोह बनाकर जनपद व जनपद से बाहर अपने व अपने साथियों के आर्थिक लाभ के लिए लूटपाट करते हैं। इनका क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है। उक्त अन्तर जनपदीय गिरोह के गैंग लीडर सत्ते उर्फ सतेन्द्र उपरोक्त को अलीगढ़ पुलिस व साथी जीते उर्फ जितेन्द्र को आगरा पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। लेकिन इस अन्तर जनपदीय गिरोह का तीसरा अपराधी दीपू उर्फ दीपक उपरोक्त काफी समय से लगातार फरार चल रहा था। काफी प्रयासों के बावजूद पुलिस की गिरफ्त से दूर था जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा रू0 15,000/– का इनाम घोषित किया गया था। गठित टीम द्वारा दिनांक 28.07.2019 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को खारी नदी पुल के पास अकोला से गिरफ्तार कर लिया गया।

- **गिरफ्तार अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक का आपराधिक इतिहास :–**

1. मु0अ0सं0 192/17 धारा 356 भादवि थाना कागारौल जनपद आगरा।
2. मु0अ0सं0 196/18 धारा 394/504 भादवि थाना कागारौल जनपद आगरा।
3. मु0अ0सं0 228/18 धारा 41/102 सीआरपीसी बी व 411 भादवि थाना कागारौल आगरा।
4. मु0अ0सं0 51/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कागारौल जनपद आगरा।
5. 157/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कागारौल जनपद आगरा।

- **<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–</u>**

01. थानाध्यक्ष संजुल कुमार पाण्डेय थाना कागारौल जनपद आगरा।
02. उ0नि0 भुवनेश कुमार दीक्षित चौकी अकोला थाना कागारौल जनपद आगरा।
03. है0का0 सतेन्द्र कुमार थाना कागारौल जनपद आगरा
05. का0 अजीत कुमार सर्विलांश सैल जनपद आगरा।
04. का0 रियाज खाँ, का0 रोहित पाराशर, का0 रामसेवक सिसोदिया, का0 ओमवीर सिंह, का0 विकास यादव थाना कागारौल जनपद आगरा।

मीडिया सेल आगरा पुलिस।